एसबीएस कार्यप्रथा संहिता

July 2021

a world of difference

प्राक्कथन

एसबीएस घोषणा–पत्र का निर्धारण ***विशेष प्रसारण सेवा अधिनियम 1991*** (राष्ट्रमंडल) के तहत किया गया है, जिसमें एसबीएस द्वारा सभी ऑस्ट्रेलियावासियों को जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के लिए बहुभाषी, बहुसाँस्कृतिक और स्वदेशी प्रसारण व डिजिटल मीडिया सेवाओं का हमारा प्रमुख कार्य शामिल है। हमारी विशिष्ट सामग्री की व्यापकता समकालीन ऑस्ट्रेलिया की विविधता को प्रयोजनार्थ दर्शाती है।

एसबीएस बोर्ड द्वारा कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमोदित एसबीएस कार्यप्रथा संहिता एसबीएस का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धाँतों और नीतियों को रेखांकित करती है, ताकि हमारी सामग्री के लिए संपादकीय स्वतंत्रता और अखंडता के उच्चतम मानक सुनिश्चित किए जा सकें। यह दर्शकों और श्रोताओं का विश्वास जीतने और इसका संरक्षण करने के लिए, तथा ऐसे समय में ऑस्ट्रेलियासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जब कि विश्वसनीयता और स्वतंत्र सार्वजनिक मीडिया सेवाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली बन गई है।

एसबीएस कार्यप्रथा संहिता को तीन सिद्धाँतों के ढांचे के तहत निर्धारित किया गया है, जिसके लिए एसबीएस स्वयं को जवाबदेह मानता है – विश्वास, पारदर्शिता और सम्मान। यह तथ्यात्मक सामग्री की सटीकता, हमारे समाचारों एवं सामयिक मामलों में निष्पक्षता और संतुलन, सामग्री के समयबद्धन, विज्ञापन और प्रायोजन, तथा शिकायतों का समाधान करने जैसे मामलों के बारे में एसबीएस की जिम्मेदारियों का विवरण देती है।

एसबीएस की अन्य नीतियों और दिशा–निर्देशों के साथ–साथ एसबीएस कार्यप्रथा संहिता भी एसबीएस को अपने चैनलों और प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित या प्रकाशित की जाने वाली सामग्री को स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारित करने में मार्गदर्शन देती है, तथा प्रभारी संपादक और एसबीएस बोर्ड के सदस्य के रूप में इसकी अंतिम संपादकीय जिम्मेदारी प्रबंध निदेशक की है।

ऑस्ट्रेलिया के लगातार बदलते हुए मीडिया परिदृश्य में एसबीएस अपनी नीतियों को प्रयोजन के लिए उपयुक्त तथा हमसे आशान्वित ऊँचे मानकों को समर्थन देने में सक्षम होना सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है, ताकि एसबीएस की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संपादकीय अखंडता की प्रतिष्ठा बनाई रखी जा सके। इसलिए एसबीएस कार्यप्रथा संहिता समय बीतने के साथ विकसित हुई है, ताकि यह सामुदायिक मानकों, दर्शकों और श्रोताओं की आवश्यकताओं, इस क्षेत्र में परिवर्तनों, नियामकों से संबंधित नवीकरणों और एसबीएस की अनेकानेक सेवाओं में सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रतिबिंबित कर सके। यह संहिता उन बदलते हुए तरीकों को भी दर्शाती है जिनसे हम आस्ट्रेलियावासियों के साथ संलग्न हो रहे हैं तथा एसबीएस द्वारा उत्पादित और अधिग्रहीत की जाने वाली सभी सामग्री के लिए मानक लागू कर रहे हैं, चाहे यह किसी भी प्रकार से वितरित की जाए। संहिता हमारी सभी सामग्री को कवर भी करती है – सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और स्ट्रीमिंग सेवाओं से लेकर वायु–तरंगों के माध्यम से पारंपरिक टेलीविज़न और रेडियो तक।

एसबीएस का भविष्य के लिए दृष्टिकोण सभी आस्ट्रेलियावासियों को हमारे विविधतापूर्ण संसार का अन्वेषण करने, इसका सम्मान करने और इसमें आनंद उठाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे सामाजिक सामंजस्य में योगदान दिया जा सके। एसबीएस कार्यप्रथा संहिता में स्पष्ट मानक और सिद्धाँत निर्धारित किए गए हैं, और हमारे विविधतापूर्ण समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं व आज के ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रासंगिक ऊँची गुणवत्ता की, स्वतंत्र, विशिष्ट सामग्री के माध्यम से एसबीएस अपने घोषणा–पत्र और ध्येय को पूरा करना जारी रखेगा।

जेम्स टेलर
प्रबंध निदेशक

विषय–सामग्री

प्राक्कथन		2
1.	परिचय	4
2.	प्रवर्तन	5
	2.1 एसबीएस सामग्री और प्लेटफॉर्म	5
	2.2 प्रसंग	6
3.	विश्वास	7
	3.1 संपादकीय स्वतंत्रता और अखंडता	7
	3.2 सटीकता	7
	3.3 विचारों और दृष्टिकोणों की विविधता	7
4.	पारदर्शिता	9
	4.1 क्षति और अपमान	9
	4.2 विज्ञापन और प्रायोजन	11
	4.3 समुदाय के लिए सूचना	12
5.	सम्मान	14
	5.1 पूर्वमान्यता, नस्लवाद और भेदभाव	14
	5.2 आत्म–पहचान	14
	5.3 साँस्कृतिक और भाषाई रूप से विविधतापूर्ण सामग्री	14
	5.4 स्वदेशी संस्कृतियाँ	15
	5.5 निजता	17
6.	प्रतिक्रियाएँ, टिप्पणियाँ और शिकायत	18
	6.1 प्रतिक्रियाएँ, टिप्पणियाँ और सामान्य शिकायतें	18
	6.2 सामग्री के प्रसारण या प्रकाशन के स्वरूप के बारे में संहिता के अंतर्गत शिकायतें	18
7.	शब्दावली	22
परिशिष्ट 1		24
	टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं के लिए एसबीएस की वर्गीकरण प्रणाली	24

1. परिचय

एसबीएस कार्यप्रथा संहिता (संहिता) एसबीएस द्वारा अपनी सामग्री के मार्गदर्शन के लिए प्रयुक्त सिद्धाँतों और नीतियों का निर्धारण करती है, ताकि एसबीएस संपादकीय स्वतंत्रता और अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित कर सके।

इस संहिता के अतिरिक्त और इससे पृथक रूप से एसबीएस अपनी सेवाओं के वितरण के लिए प्रासंगिक अन्य अनेकानेक **नीतियों और प्रथाओं** का पालन भी करता है।

समय-समय पर संहिता में संशोधन किया जा सकता है, ताकि उद्देश्य के लिए इसकी उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके।

विशेष प्रसारण सेवा अधिनियम 1991 (राष्ट्रमंडल) के तहत, जिसमें एसबीएस घोषणा-पत्र भी शामिल है, एसबीएस अपने दायित्वों के निर्वाह में **विश्वास, पारदर्शिता और सम्मान** के सिद्धाँतों के अनुरूप परिचालित होता है। ये सिद्धाँत परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं, ये हमारे सभी प्लेटफॉर्मों पर सामग्री के निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं, तथा ये हमारी जवाबदेही के मानक हैं। इन सिद्धाँतों के माध्यम से सभी ऑस्ट्रेलियावासियों को आश्वासन दिया जा सकता है कि एसबीएस दर्शकों और श्रोताओं के प्रति अपने वादे को पूरा करेगा।

हमारे सभी कार्य-कलापों के केंद्र में दर्शकों और श्रोताओं का **विश्वास** प्राप्त करना और इसे बनाए रखना है।

एसबीएस भरोसेमंद जानकारी का स्रोत है और यह उन विचारों की बहुलता को अंगीकृत करता है, जो विविधतापूर्ण और जीवंत समाज के लिए समर्थन एवं योगदान देते हैं।

एसबीएस सशक्त संपादकीय मानकों को लागू करता है। दर्शक और श्रोता इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि एसबीएस समाचार और सामयिक मामले सटीक, संतुलित और निष्पक्ष होंगे। एसबीएस ऑस्ट्रेलिया में एक खुली और रचनात्मक चर्चा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेकानेक प्रकार के दृष्टिकोण और जानकारी प्रस्तुत करता है।

एसबीएस दर्शकों और श्रोताओं को प्रदान की जाने वाली जानकारी और अपनी सेवाओं के वितरण के तरीके में **पारदर्शिता** के लिए कृतसंकल्प है।

एसबीएस व्यापक और विविधतापूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि दर्शक और श्रोता अपनी आवश्यकतानुसार सबसे अच्छे सामंजस्य वाली सामग्री का चयन कर सकें।

सम्मान एसबीएस के मूल में है। एसबीएस सम्मानजनक व्यवहार को सुविधाकृत करता है, अलग-अलग दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देता है, और समझ को संवृद्ध करता है।

एसबीएस विविधता और समावेशन का कोष है। एसबीएस ऑस्ट्रेलिया के बहुसाँस्कृतिक समाज तथा आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुभाषी और बहुसाँस्कृतिक रेडियो, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया कार्यक्रम व सेवाएँ प्रदान करके एक जीवंत एवं सामंजस्यपूर्ण बहुसाँस्कृतिक समाज का समर्थन करता है और इसके प्रति योगदान देता है। ऐसा करने में, एसबीएस सभी ऑस्ट्रेलियावासियों की साँस्कृतिक, भाषाई एवं प्रजातीय विविधता की समझ और अभिस्वीकृति को बढ़ावा देता है।

एसबीएस इन सेवाओं को प्रदान करते समय व्यक्ति-विशेषों की निजता के अधिकारों को जनहित के समकक्ष संतुलित करता है।

एसबीएस अपनी सामग्री और सेवाओं के वितरण के माध्यम से उस देश के बारे में समझने में नवागंतुकों की सहायता करता है, जिसे वे अब अपना घर कहते हैं, तथा साथ ही सभी ऑस्ट्रेलियावासियों को एक-दूसरे को तथा हमारी अनेकानेक संस्कृतियों को बेहतर तरीके से समझने व उनका सम्मान करने में मदद भी देता है, ताकि सामाजिक सामंजस्य को समर्थन मिल सके।

2. प्रवर्तन

2.1 एसबीएस सामग्री और प्लेटफॉर्म

यह संहिता एसबीएस द्वारा अपने प्लेटफॉर्मों पर प्रसारण या प्रकाशन के लिए उत्पादित, साधिकार आदेशित, अधिग्रहीत या अन्यथा प्राप्त की गई सामग्री के लिए लागू होती है, जिसपर एसबीएस का संपादकीय नियंत्रण है (एसबीएस सामग्री)।

इसमें शामिल हैं:

- ऑडियो और वीडियो सामग्री, तथा लिखित सामग्री, जिसमें टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रम, ऑनलाइन लेख, पॉडकास्ट, ऐप्स और सोशल मीडिया पोस्ट शामिल हैं;
- कार्यक्रमों से संबंधित सामग्री, जैसे कार्यक्रम, चैनल और नेटवर्क प्रचार।

एसबीएस के प्लेटफॉर्मों में शामिल हैं:

- एसबीएस टेलीविज़न प्रसारण सेवाएँ;
- एसबीएस रेडियो प्रसारण सेवाएँ;
- एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाएँ, जिनमें आदेशानुसार प्रदान की जाने वाली सेवाएँ भी शामिल हैं जैसे एसबीएस ऑन–डिमांड; पॉडकास्ट; और एसबीएस ऑनलाइन;
- तृतीय पक्ष के प्लेटफॉर्मों पर एसबीएस खाते और सेवाएँ, जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

इस संहिता में 'एसबीएस' के संदर्भों का तात्पर्य सभी एसबीएस प्लेटफॉर्मों से है, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया जाए।

संहिता इनके लिए लागू नहीं होती है:

- विज्ञापनों, प्रायोजक घोषणाओं, और सामुदायिक सेवा घोषणाओं (सीएसए) की सामग्री;
- **एसबीएस नेटवर्क के नियमों और शर्तों** के अधीन आने वाले एसबीएस के सोशल मीडिया खातों पर तृतीय पक्षों की पोस्टें;
- एसबीएस कार्यक्रमों की समय–सूचियाँ (जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका भी शामिल है)।

एसबीएस का उद्देश्य यथासंभव अपने प्लेटफॉर्मों पर सुसंगत मानकों का प्रवर्तन करना है। प्रसारण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों में भिन्नताओं के कारण इस संहिता के कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन में कुछ अंतर हो सकते हैं।

एसबीएस ऐसी अनेकानेक संबद्ध नीतियों और उद्योग मानकों व विनियमों के तहत भी परिचालित किया जाता है, जो एसबीएस संहिता का हिस्सा नहीं हैं। इसमें **एसबीएस के संपादकीय दिशा–निर्देश** भी शामिल हैं।

2.2 प्रसंग

संहिता का प्रवर्तन प्रसंग से निर्देशित होता है। किसी एक प्रसंग में जो अस्वीकार्य है, वह किसी दूसरे प्रसंग में उचित और स्वीकार्य हो सकता है।

संहिता तथ्यात्मक सामग्री, राय, या हास्यास्पद, व्यंग्यात्मक, कलात्मक या नाटकीय प्रकृति की सामग्री का निषेध नहीं करती है। इनमें ऐसी सामग्री शामिल है, जो कुछ विशेष दर्शकों और श्रोताओं के लिए आपत्तिजनक या अप्रिय हो सकती है।

प्रसंग का आकलन करते समय, जिसमें शिकायतों के आकलन से संबंधित प्रसंग भी शामिल हैं, एसबीएस अनेकानेक कारकों पर विचार करेगा, जिनमें शामिल हैं:

- सामग्री की प्रकृति – जिसमें इसकी शैली, विषयवस्तु और संपादकीय प्रयोजन भी शामिल है;
- वह प्लेटफॉर्म या सेवा, जिसपर सामग्री का प्रसारण या प्रकाशन किया जाता है;
- दर्शकों और श्रोताओं की समुचित उम्मीदें;
- प्रत्याशित दर्शकों और श्रोताओं की समुचित संवेदनशीलता।

3. विश्वास

3.1 संपादकीय स्वतंत्रता और अखंडता

एसबीएस सभी ऑस्ट्रेलियावासियों के विश्वास और भरोसे के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जो एसबीएस की सभी सामग्री में संपादकीय स्वतंत्रता और अखंडता पर निर्भर करते हैं।

एनआईटीवी का उत्पादन मुख्य रूप से आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों द्वारा, उनके लिए और उनके बारे में किया जाता है। स्वदेशी समुदाय के विश्वास और सम्मान को बनाए रखना सर्वोपरि है।

एसबीएस के प्लेटफॉर्मों पर क्या प्रसारित और प्रकाशित किया जाता है, इसका निर्धारण एसबीएस स्वतंत्र रूप से करता है।

3.2 सटीकता

एसबीएस तथ्यात्मक सामग्री की प्रस्तुति में जानबूझकर और तात्विक रूप से दर्शकों और श्रोताओं को गुमराह नहीं करेगा।

एसबीएस यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि समाचार और सामयिक मामलों सहित सभी तथ्यात्मक सामग्री को सटीकता के साथ एकत्र और प्रस्तुत किया जाए, तथा सामग्री के प्रसारण या प्रकाशन के समय परिस्थितियों और ज्ञात तथ्यों के संबंध में उचित ध्यान रखा जाए।

सटीकता की आवश्यकता का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रसारित या प्रकाशित मामलों से संबद्ध सभी तथ्यात्मक सामग्री का विस्तृत कवरेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

एसबीएस तथ्य में गंभीर त्रुटियों को ठीक करने के लिए उचित और सामयिक कदम उठाएगा।

3.3 विचारों और दृष्टिकोणों की विविधता

एसबीएस अनुभवों, अवधारणाओं, संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता का प्रतिबिंबन करने वाली सामग्री के प्रसारण और प्रकाशन के लिए प्रतिबद्ध है।

एसबीएस समुचित सामग्री की उपलब्धता के अधीन अनेकानेक प्रकार के विचारों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करेगा।

एसबीएस किसी विषय-विशेष से संबंधित उपलब्ध प्रमाणों को उचित महत्व देगा।

एसबीएस विशेष दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किए जाने वाले या मुद्दों के विशिष्ट पहलुओं का अन्वेषण करने वाले वृत्तचित्रों और राय जैसी सामग्री का प्रसारण और प्रकाशन कर सकता है। ऐसी सामग्री को किसी विशेष मुद्दे से संबंधित प्रत्येक दृष्टिकोण या सभी उपलब्ध जानकारी को प्रस्तुत करने अथवा अलग-अलग दृष्टिकोणों के लिए बराबर समय देने की आवश्यकता नहीं है।

एनआईटीवी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों की बोलियों, हितों और दृष्टिकोणों को प्रमुखता देता है। एनआईटीवी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों की विविधता का प्रतिबिंबन करता है और स्वदेशी दृष्टिकोणों की अपनी प्रस्तुति में अनेकानेक विचारों को प्रदर्शित करता है।

3.3.1 संतुलित और निष्पक्ष समाचार एवं सामयिक मामले

एसबीएस द्वारा उत्पादित और एसबीएस द्वारा आदेशित समाचार और सामयिक मामलों की सामग्री का उद्देश्य मुद्दों और घटनाओं को संतुलित व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना है, जिसमें अनेकानेक प्रासंगिक और विषयवस्तु-संबंधी दृष्टिकोणों का प्रावधान भी शामिल है। समाचार और सामयिक मामलों की सामग्री में राय और टिप्पणी शामिल हो सकती है।

एसबीएस यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि समाचार और सामयिक मामलों की सामग्री उचित निष्पक्षता के साथ एकत्र और प्रस्तुत की जाए तथा यह संतुलित हो। इसमें प्रसारण या प्रकाशन के समय की परिस्थितियों, प्रदर्शित की जा रही सामग्री की प्रकृति और तात्कालिकता तथा जनहित को ध्यान में रखा जाएगा।

एसबीएस की निष्पक्षता और संतुलन के लिए प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप एसबीएस को समय के साथ तथा समयबद्धन के दौरान अनेकानेक प्रकार के महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एसबीएस के लिए यह भी आवश्यक है कि इन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत न किया जाए या किसी एक की तुलना में दूसरे को अनावश्यक रूप से प्राथमिकता न दी जाए।

इससे एसबीएस पर किसी विशेष मुद्दे से संबंधित प्रत्येक दृष्टिकोण या सभी उपलब्ध जानकारी को प्रस्तुत करने अथवा अलग-अलग दृष्टिकोणों के लिए बराबर समय देने की बाध्यता नहीं है। और न ही यह विवादास्पद मुद्दों की गंभीर गवेषणा या महत्वपूर्ण और उत्तेजक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाने को बाधित करता है।

एसबीएस समाचारों और सामयिक मामले कार्यक्रमों की विषयवस्तु एवं अन्य प्रकाशित सामग्री का निर्णय स्वतंत्र रूप से करता है।

समाचारों की सामग्री के संबंध में जहाँ तक यथासंभव व्यावहारिक हो, प्रमुख विवादास्पद मुद्दों की सक्रियात्मक अवधि के दौरान मुख्य प्रासंगिक दृष्टिकोणों को संतुलन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अन्य मामलों के लिए समुचित अवधि के दौरान संतुलन प्रदान किया जाना आवश्यक है।

एनआईटीवी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के दृष्टिकोणों से समाचार और सामयिक मामले प्रस्तुत करता है।

3.3.2 एसबीएस द्वारा उत्पादित नहीं किए गए समाचार और सामयिक मामले

एसबीएस अंतरराष्ट्रीय स्रोतों (वर्ल्डवॉच) और समाचार एजेंसियों द्वारा उत्पादित समाचार और सामयिक मामलों की सामग्री का काफी अधिक सीमा तक असंपादित प्रसारण और प्रकाशन करता है।

एसबीएस इस सामग्री के स्रोत की पहचान प्रकट करेगा, ताकि दर्शक और श्रोता स्वयं अपनी निर्णय-क्षमता का प्रयोग करके तय कर सकें कि मुद्दों और जानकारी को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस प्रावधान के तहत प्रसारित और प्रकाशित की जाने वाली सामग्री से पहले एक अस्वीकरण दिया जाएगा, जो दर्शकों और श्रोताओं को सूचित करेगा कि यह सामग्री एसबीएस के संपादकीय मानकों को प्रतिबिंबित नहीं भी कर सकती है।

वर्ल्डवॉच को ऑस्ट्रेलिया के विविधतापूर्ण बहुसाँस्कृतिक समुदायों की व्यक्तिगत भाषा-संबंधी और साँस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के अनेकानेक निवासियों के मूल स्थानों से उनकी अपनी भाषा में अनन्य और नियमित समाचार सेवा प्रदान करता है। यह सभी ऑस्ट्रेलियावासियों को विश्व-भर में समाचार की घटनाओं के बारे में परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करता है। अधिकांश सामग्री अंग्रेज़ी के स्थान पर किसी अन्य भाषा में होती है और इसमें उपशीर्षक नहीं दिए जाते हैं। वर्ल्डवॉच की सेवाएँ अनेकानेक विदेशी स्रोतों से ली जाती हैं, जिनमें सरकारी, सार्वजनिक और व्यावसायिक स्रोत भी शामिल हैं।

4. पारदर्शिता

4.1 क्षति और अपमान

एसबीएस अभिनव प्रकार की, और कई बार चुनौतीपूर्ण सामग्री का प्रसारण और प्रकाशन करता है। एसबीएस की सामग्री विवादास्पद व उत्तेजक हो सकती है और यह कुछ लोगों को अप्रिय या आपत्तिजनक प्रतीत हो सकती है।

संभावित रूप से क्षति और अपमान करने वाली सामग्री को प्रसंग के अनुसार न्यायोचित होना चाहिए, और इसके लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।

4.1.1 समाचारों, सामयिक मामलों और अन्य सामग्री में हिंसा, चिंताजनक घटनाएँ और अन्य क्षतिकारक तत्व, जो गोपनीय नहीं हैं

हिंसक तस्वीरों या ऑडियो और अन्य संभावित हानिकारक सामग्री (जैसे आपत्तिजनक भाषा) का प्रसारण या प्रकाशन करने का निर्णय सामग्री की संपादकीय प्रासंगिकता पर आधारित होता है, जिसमें इसकी समाचारशीलता और जनहित के लिए उपयुक्तता के साथ-साथ संभावित दर्शकों और श्रोताओं व उनकी समुचित संवेदनशीलताओं के लिए न्यायोचित सम्मान भी शामिल है।

एसबीएस हिंसक घटनाओं को सनसनीखेज नहीं बनाएगा या उन्हें अपने प्रयोजन के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा।

एसबीएस समाचार की घटनाओं को सनसनीखेज और अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं बनाने का प्रयास करता है। तकलीफदेह घटनाओं को कवर करने में एसबीएस के सामग्री-निर्माताओं को संवेदनशीलता का अनुपालन करना आवश्यक है, विशेषकर जब वे व्यथित लोगों के समीप जाएँ अथवा उनका साक्षात्कार या चित्रण करें।

ब्रेकिंग या लाइव समाचार और अन्य लाइव सामग्री के समय और विषयवस्तु अप्रत्याशित हो सकते हैं। जहाँ तक व्यावहारिक हो, एसबीएस दर्शकों और श्रोताओं की संभावित संरचना को ध्यान में रखते हुए ऑडियो और तस्वीरों के चयन में समुचित ध्यान का प्रयोग करेगा।

जहाँ उचित होगा, हिंसक या व्यथित करने वाली तस्वीरों या ऑडियो से युक्त सामग्री से पूर्व इस बारे में सामयिक एवं उपयुक्त चेतावनियाँ दी जाएँगी कि कुछ दर्शकों और श्रोताओं को यह सामग्री तकलीफदेह लग सकती है।

4.1.2 आत्महत्या

आत्महत्या सामग्री के लिए एक वैध विषय है, लेकिन इस विषय को ऊँचे स्तर की संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया जाना चाहिए। एसबीएस आत्महत्या के तरीके का विस्तारपूर्वक वर्णन न करने या न दिखाने का ध्यान रखेगा। यदि तरीकों का वर्णन किया जाता है, तो एसबीएस संदर्भ और संपादकीय प्रासंगिकता का ध्यान रखेगा।

4.1.3 सामग्री का वर्गीकरण और समयबद्धन

एसबीएस यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री दिखाए जाने का समय उचित रूप से निर्धारित किया जाए, जिसमें प्लेटफॉर्म, सेवा, सामग्री के प्रकार और संभावित दर्शकों और श्रोताओं की संरचना समेत अनेक प्रकार के कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

एसबीएस टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं पर प्रसारित किए जाने वाले तथा एसबीएस ऑन डिमांड पर पुनःप्रसारित किए जाने वाले एसबीएस टेलीविज़न कार्यक्रमों एवं कार्यक्रमों के प्रचार का आकलन एसबीएस की टेलीविज़न वर्गीकरण प्रणाली के तहत एसबीएस द्वारा किया जाता है। एसबीएस की टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं की वर्गीकरण प्रणाली **परिशिष्ट 1** में दी गई है।

एसबीएस ऑनलाइन सामग्री के साथ व्यवहार *वर्गीकरण अधिनियम 1995* (राष्ट्रमंडल) के तहत फिल्मों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है *(प्रसारण सेवाएँ अधिनियम 1992* (राष्ट्रमंडल) की अनुसूची 7 के अनुसार)।

अग्रलिखित सामग्री (जिसमें प्रासंगिक कार्यक्रम प्रचार भी शामिल हैं) इस अनुभाग के तहत वर्गीकरण के अधीन नहीं है: समाचार कार्यक्रम (जिसमें समाचार अपडेट भी शामिल हैं), सामयिक मामलों के कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम। इस सामग्री का आकलन और प्रसारण व प्रकाशन **अनुभाग 4.1.1** के अनुरूप किया जाता है।

विज्ञापन और प्रायोजन घोषणाएँ, और सीएसए अलग-अलग वर्गीकरण प्रक्रियाओं के अधीन आते हैं (क्रमशः **अनुभाग 4.2** और **अनुभाग 4.3** देखें)।

वर्गीकरण श्रेणियाँ

एसबीएस निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों का उपयोग करता है:

- जनरल (G)
- माता-पिता का मार्गदर्शन (PG)
- परिपक्व (M)
- परिपक्व दर्शक और श्रोता (MA15+)

वर्गीकरण प्रतीक

एसबीएस टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं पर दिखाए जाने वाले PG, M या MA15+ कार्यक्रम के वर्गीकरण प्रतीकों को कार्यक्रम की शुरुआत में और एसबीएस ऑन डिमांड पर जानकारी के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

वर्गीकरण के लिए सलाह

एसबीएस टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं पर दिखाए जाने वाले M या MA15+ कार्यक्रम के वर्गीकरण के कारणों के बारे में सलाह को कार्यक्रम की शुरुआत में और एसबीएस ऑन डिमांड पर कार्यक्रम की जानकारी के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। असाधारण मामलों में कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही वर्गीकरण सलाह दी जा सकती है।

यदि PG वर्ग के किसी कार्यक्रम में इस प्रकार की प्रबलता या तीव्रता की सामग्री हो जिसके बारे में एसबीएस यथोचित रूप से यह मानता है कि छोटे बच्चों के माता-पिता या अभिभावक उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो एसबीएस इस कार्यक्रम के लिए लिए कोई अन्य उपयुक्त वर्गीकरण सलाह प्रदान कर सकता है।

कार्यक्रमों के प्रचार का समयबद्धन

कार्यक्रमों के प्रचार, कार्यक्रम की सामग्री के आस-पास या आसन्न समय-सीमा से अधिक नहीं होंगे।

यदि कार्यक्रम प्रचार में निहित सामग्री अवर्गीकृत है, तो इसका समयबद्धन समय-क्षेत्र के अनुरूप किया जाएगा।

समय–क्षेत्र

एसबीएस सामान्यतः **परिशिष्ट 1** में दी गई प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी के लिए इंगित समय–क्षेत्र के अनुरूप एसबीएस टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं पर टेलीविज़न कार्यक्रमों और कार्यक्रम प्रचारों का प्रसारण करेगा।

चूंकि PG सामग्री किसी भी समय दिखाई जा सकती है, इसलिए माता–पिता या अभिभावकों को बच्चों द्वारा इसे देखते समय उनकी निगरानी के दौरान सामग्री की उपयुक्तता का आकलन करने की आवश्यकता होगी।

कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार तय समय–क्षेत्र से किसी भी विचलन के लिए एसबीएस के पास एक प्रबल कारण होना चाहिए।

किसी गंभीर नैतिक, सामाजिक या साँस्कृतिक मुद्दों के विषय पर जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से आधारित कार्यक्रमों को उनके समय–क्षेत्र के बाहर दिखाया जा सकता है, बशर्ते कार्यक्रम की प्रकृति और सामग्री का एक स्पष्ट संकेत, उदाहरण के लिए वर्गीकरण सलाह के रूप में, कार्यक्रम के शुरू में प्रदान किया जाए।

कुछ कार्यक्रमों को उनके वर्गीकरण समय–क्षेत्र से बाहर प्रसारित या प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें ऐसी परिस्थितियाँ भी शामिल हैं जब व्यक्ति–विशेष अपने स्थानीय क्षेत्र के बाहर प्रसारण सिग्नल प्राप्त करने का चयन करते हैं।

4.2 विज्ञापन और प्रायोजन

एसबीएस अपने प्रसारण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं का प्रसारण और प्रकाशन कर सकता है।

एसबीएस बोर्ड के लिए विज्ञापन और प्रायोजन से संबंधित मामलों पर दिशा–निर्देश विकसित करना अनिवार्य है और ये **एसबीएस संपादकीय दिशा–निर्देशों** में उपलब्ध हैं।

अपने प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं का चयन और स्थानन करना, जिसमें सभी प्रतिबंध भी शामिल हैं, एसबीएस के लिए एक विचारणीय मुद्दा है।

एसबीएस ने विज्ञापन की निम्नलिखित परिभाषा अंगीकृत की है:

> ऐसी सामग्री, जिसके लिए एसबीएस को नकदी या गैर–नकदी रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जो स्वयं अथवा जिसका कोई अंश जनता का ध्यान किसी उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की दिशा की ओर आकर्षित करती है, अथवा जिसकी गणना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की दिशा का प्रचार अथवा संस्तुति करने के लिए की जाती है।

एसबीएस ने प्रायोजन घोषणा की निम्नलिखित परिभाषा अंगीकृत की है:

> ऐसी सामग्री, जिसके लिए एसबीएस को नकदी या गैर–नकदी रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जो दर्शकों और श्रोताओं को एसबीएस के साथ प्रायोजन संबंध के बारे में जानकारी देती है और सक्रियात्मक रूप से प्रायोजक के उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की दिशा को अनुकूल तरीके से संवृद्ध करती है।

विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं की एसबीएस सामग्री से अलग पहचान कर पाना आसानी से संभव होना चाहिए।

एसबीएस की टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं के संबंध में, एसबीएस वाणिज्यिक टेलीविज़न उद्योग कार्यप्रथा संहिता (1 दिसंबर 2015) में निहित विज्ञापन प्रतिबंधों का ध्यान रखता है, जो विशेष उत्पाद वर्गों समेत अन्य विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं के समय और स्थानन से संबंधित हैं।

इस संहिता के अंतर्गत विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं की सामग्री नहीं आती है। एसबीएस द्वारा प्रसारित या प्रकाशित विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं को संबंधित उद्योग मानकों का अनुपालन करना चाहिए। विज्ञापनों की सामग्री और प्रायोजन घोषणाओं के बारे में शिकायतों का प्रबंधन विज्ञापन उद्योग की स्व-नियामक योजना (विज्ञापन मानकों) के माध्यम से किया जाता है।

4.2.1 खेलों की लाइव कवरेज में सट्टेबाजी व जुए से संबंधित प्रायिकताओं और विज्ञापनों के प्रचार पर प्रतिबंध

एसबीएस टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण सेवाएँ

एसबीएस इन संहिताओं में दिए गए प्रावधानों का पालन करता है:

- वाणिज्यिक टेलीविज़न उद्योग कार्य संहिता (Commercial Television Industry Code of Practice), जो एसबीएस टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं पर किसी खेल आयोजन के लाइव प्रसारण के दौरान सट्टेबाजी व जुए से संबंधित प्रायिकताओं और विज्ञापनों के प्रचार को प्रतिबंधित करती है। **(परिशिष्ट 3: किसी खेल आयोजन के लाइव प्रसारण के दौरान सट्टेबाजी व जुए से संबंधित प्रायिकताओं और विज्ञापनों के प्रचार पर प्रतिबंध (30 मार्च 2018))**; और
- वाणिज्यिक रेडियो कार्य संहिता (Commercial Radio Code of Practice), जो एसबीएस रेडियो प्रसारण सेवाओं पर खेलों की लाइव कवरेज में जुए और सट्टेबाजी की प्रायिकताओं के प्रचार को प्रतिबंधित करती है **(अनुभाग 9 खेलों की लाइव कवरेज में जुए और सट्टेबाजी की प्रायिकताओं का प्रचार (30 मार्च 2018))**।

एसबीएस पर इन प्रावधानों के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए:

- 'लाइसेंसधारक' पद के किसी भी संदर्भ को एसबीएस के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए;
- 'लाइसेंस क्षेत्र' पद के किसी भी संदर्भ को एसबीएस के किसी वाणिज्यिक बाज़ार के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए ('नोट देखें')।

नोट: राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए, या जहाँ किसी खेल आयोजन की लाइव-टु-एयर कवरेज के मामले में भौगोलिक रूप से लक्षित समय-व्यवस्थित विज्ञापन नहीं प्रदर्शित किए जा सकते हैं, वहाँ के लिए समय-क्षेत्र एईएएसटी या एईडीटी (उपयुक्तता के अनुसार) होगा।

कुछ कार्यक्रमों को उनके स्थानीय समय-क्षेत्र से बाहर प्रसारित या प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें ऐसी परिस्थितियाँ भी शामिल हैं जब व्यक्ति-विशेष अपने स्थानीय क्षेत्र के बाहर प्रसारण सिग्नल प्राप्त करने का चयन करते हैं।

एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाएँ

एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाएँ प्रसारण सेवाएँ (ऑनलाइन सामग्री सेवा-प्रदाता) नियम 2018 के अंतर्गत समान नियमों के अधीन हैं।

4.3 समुदायों के लिए सूचनाएँ

एसबीएस अपनी टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण सेवाओं तथा अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सामुदायिक सूचना घोषणाओं और सामुदायिक प्रचार सामग्री के लिए सीमित व निःशुल्क एयरटाइम प्रदान करता है, जिन्हें सामुदायिक सेवा घोषणाएँ (सीएसए) कहा जाता है।

एसबीएस सामाजिक, साँस्कृतिक, कल्याणकारी, शैक्षिक या लाभकारी, अथवा जनहित के अन्य मामलों से संबंधित सेवाओं या आयोजनों के प्रचार के प्रयोजन से ऑस्ट्रेलियाई दानार्थ संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों व अन्य प्रासंगिक संस्थाओं को सीएसए के लिए निःशुल्क एयरटाइम आवंटित करता है।

सीएसए का चयन करने में एसबीएस अनेकानेक कारकों पर विचार करेगा, जिनमें शामिल हैं:

- ऑस्ट्रेलिया के बहुसाँस्कृतिक और स्वदेशी समुदायों की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देने के उद्देश्य से एक बहुसाँस्कृतिक और स्वदेशी प्रसारक के रूप में इसकी भूमिका;
- किसी निकाय का चरित्रचित्रण और उसके लक्ष्य एवं ध्येय;
- किसी निकाय की आर्थिक पदस्थिति;
- सीएसए की विषयवस्तु।

निम्नलिखित सामग्री को सीएसए नहीं माना जाता है:

- राजनीतिक मुद्दे, जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पदवी के लिए किसी उम्मीदवार का प्रचार भी शामिल है, या कानून में परिवर्तन का पक्ष–समर्थन करने वाले मुद्दे।[1]
- ऐसा कोई भी सामाजिक, धार्मिक और किसी अन्य विषय का मुद्दा, जिसे एसबीएस विवादास्पद मानता है या समुदाय के लिए संभावित रूप से विभाजनकारी मानता है।
- किसी वाणिज्यिक निकाय या व्यक्ति–विशेष के हितों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दृढ़तापूर्वक प्रचार करने वाली घोषणाएँ।

एसबीएस सेवाओं में सीएसए के स्थानन एयरटाइम की उपलब्धता के अधीन है और पूरी तरह से एसबीएस के विवेकानुसार निर्धारित किया जाएगा।

सामान्य रूप से सीएसए को अलग घोषणाओं के रूप में प्रसारित या प्रकाशित किया जाएगा। एसबीएस के विवेकानुसार सीएसए को सामग्री के अंतर्गत घोषणाओं के रूप में भी प्रसारित या प्रकाशित भी किया जा सकता है।

सीएसए के चयन और स्थानन से संबंधित निर्णय एसबीएस की संपादकीय स्वतंत्रता और अखंडता के अधीन हैं। एसबीएस प्रदान की गई किसी भी सामग्री को संपादित करने का अधिकार अपने पास निहित रखता है।

एसबीएस टेलीविज़न सेवाओं पर प्रसारित किए जाने वाले सीएसए का वर्गीकरण किया जाता है और इनका स्थानन **अनुभाग 4.2** में दिए गए विज्ञापन–संबंधी प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

सीएसए की सामग्री से संबंधित शिकायतों का प्रबंधन विज्ञापन उद्योग की स्व–नियामक योजना (**विज्ञापन मानक**) के माध्यम से किया जाता है।

4.3.1 निःशुल्क एयरटाइम का आवंटन – चुनाव और जनमत–संग्रह

एसबीएस निम्नलिखित के लिए निःशुल्क एयरटाइम का आवंटन करने के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के विविध समुदायों को चुनाव और जनमत– संग्रह के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है:

- संघीय और राज्य सरकार के चुनावों के दौरान योग्यता–प्राप्त राजनीतिक दल;
- जनमत–संग्रहों में हाँ/नहीं के मामले।

निःशुल्क एयरटाइम के आवंटन के बारे में जानकारी **एसबीएस की वेबसाइट** पर उपलब्ध है।

निःशुल्क एयरटाइम का आवंटन करने का अर्थ यह नहीं है कि एसबीएस प्रसारित या प्रकाशित की जाने वाली सामग्री में शामिल विचारों का समर्थन करता है।

1 इस प्रकार की सामग्री को अनुभाग 4.3.1 में संबोधित किया गया है।

5. सम्मान

5.1 पूर्वमान्यता, नस्लवाद और भेदभाव

एसबीएस नस्ल, रंग, जातीयता, राष्ट्रीयता, लिंग, लैंगिक रुझान, लैंगिक पहचान, आयु, धर्म, विकलांगता, मानसिक या शारीरिक बीमारी, वैवाहिक, अभिभावकीय या व्यावसायिक पदस्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्वमान्यता के दृष्टिकोणों का प्रतिरोध करने का उद्देश्य रखता है।

एसबीएस सामग्री को प्रस्तुत किए जाने के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए ऐसी सामग्री से वर्जन करेगा जो स्पष्ट रूप से पूर्वमान्यता और भेदभाव को अनदेखा करती है, सहन करती है, या बढ़ावा देती है। इसमें विशिष्ट विशेषताओं पर अकारण बल देने या पूर्वधारणाओं के अनुचित उपयोग से वर्जन करना शामिल है। यह एसबीएस को इन तत्वों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसमें उत्तेजक या व्यंग्यात्मक प्रारूपों में चर्चाएँ भी शामिल हो सकती हैं।

एसबीएस इस बात को समझता है कि विभिन्न साँस्कृतिक समूहों की भिन्न-भिन्न अवधारणाएँ और मूल्य होते हैं। यदि संपादकीय रूप से प्रासंगिक और संदर्भोचित हो, तो एसबीएस ऐसी सामग्री का प्रसारण या प्रकाशन कर सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत किए जाने वाले साँस्कृतिक विचारों को चुनौती दे सकती है।

5.2 आत्म-पहचान

एसबीएस स्वीकार करता है कि अलग-अलग समूहों और व्यक्तियों के पास स्वयं अपनी पहचान स्थापित करने का अधिकार है।

एसबीएस किसी व्यक्ति या समूह की आत्म-पहचान का उपयोग कर सकता है।

एसबीएस प्रसंग को ध्यान में रखेगा और एक साँस्कृतिक समूह द्वारा दूसरे समूह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपमानजनक शब्दों के अनुचित उपयोग से वर्जन करेगा।

एसबीएस समुचित आत्म-पहचान को स्वीकार करता है, किंतु ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में समूह की पहचान की मान्यता के अतिरिक्त इसका कोई निहितार्थ नहीं है और यह किसी भी ऐतिहासिक या राजनीतिक दावों की मान्यता के लिए अभिस्वीसँति नहीं है।

5.3 साँस्कृतिक और भाषाई रूप से विविधतापूर्ण सामग्री

एसबीएस अपनी सेवाओं को वितरित करने और ऑस्ट्रेलिया के विविध भाषा-समुदायों को सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेज़ी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी सामग्री को उत्पादित, प्रसारित, उपशीर्षकों को प्रस्तुत और प्रकाशित करता है।

ये सेवाएँ विभिन्न भाषाओं में ऑस्ट्रेलियाई समाचार, मनोरंजन और जानकारी प्रदान करके अंग्रेज़ी के अतिरिक्त अन्य भाषाएँ बोलने वाले लोगों को ऑस्ट्रेलियाई समाज के साथ सामाजिक, नागरिक और आर्थिक भागीदारी करने में सक्षम बनाती हैं। विशिष्ट भाषाओं या सँस्कृतियों के समुदायों के लिए उत्पादित सामग्री अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

अनेकानेक भाषाओं में एसबीएस की सामग्री साँस्कृतिक पहचान एवं भाषा की निरंतरता और विकास को समर्थित करती है, सामुदायिक संलग्नता को बढ़ावा देती है और ऑस्ट्रेलिया में संस्कृतियों के बीच परस्पर समझ को संवृद्ध करती है।

एसबीएस द्वारा अन्य भाषाओं में उत्पादित की जाने वाली सामग्री अनेकानेक प्रकार के मुद्दों के बारे में सहिष्णु और सम्मानजनक धारणाओं के आदान-प्रदान को सुविधाकृत करती है। एसबीएस किसी एक समूह की तुलना में दूसरे समूह के विचारों को बढ़ावा नहीं देगा। एसबीएस अनेकानेक प्रकार के विचारों और धारणाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देता है, जिसमें ऐसी धारणाएँ भी शामिल हैं जिन्हें विवादास्पद माना जा सकता है।

प्रोग्रामिंग की आपूर्ति के अनुसार एनआईटीवी का उद्देश्य आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों की भाषा-संबंधी विविधता को अपनी सामग्री में प्रतिबिंबित करना है। समाचार और सामयिक मामलों समेत अपनी सभी प्रोग्रामिंग में एनआईटीवी आदिवासी अंग्रेज़ी, क्रिओल और अन्य स्वदेशी भाषाओं का उपयोग करके सीधे स्वदेशी दर्शकों और श्रोताओं से स्थानीय भाषाओं में बात कर सकता है।

5.4 स्वदेशी संस्कृतियाँ

एसबीएस स्वदेशी समाजों की सामाजिक, साँस्कृतिक और आध्यात्मिक अखंडता को मान्यता देता है और इन समाजों के बीच तथा इनके अंदर विविधता को अभिस्वीकृति देता है।

एसबीएस का उद्देश्य सभी ऑस्ट्रेलियावासियों के बीच स्वदेशी संस्कृतियों, ज्ञान और इतिहास के लिए समझ और सम्मान को बढ़ावा देना और सुविधाकृत करना है।

एसबीएस स्वदेशी मुद्दों के इर्द-गिर्द में मीडिया प्रस्तुतियों में साँस्कृतिक रूप से संवेदनशील रहेगा।

5.4.1 आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग

एसबीएस ऑस्ट्रेलिया के इतिहास, संस्कृति और समाज में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के विशेष और अनन्य स्थान को तथा स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों की संस्कृतियों, भाषा और परंपराओं को बरकरार रखने के महत्व को अभिस्वीकृति देता है।

एसबीएस सभी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों की विविधतापूर्ण और परिवर्तित होती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराता है तथा स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों के लिए महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों के साथ व्यवहार करता है। एसबीएस ऐसी सामग्री के उत्पादन के सभी पहलुओं में स्वदेशी ऑस्ट्रेलियासियों की अधिकतम संलग्नता के लिए प्रयास करता है।

एसबीएस अपनी सामग्री में स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों के लिए संवेदनशील मुद्दों, उनकी साँस्कृतिक परंपराओं व भाषाओं के लिए समुचित सम्मान देना सुनिश्चित करेगा।

5.4.2 आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी प्रोटोकॉलें और साँस्कृतिक रूप से उपयुक्त सामग्री

किसी भी सामग्री के उत्पादन, प्रसारण या प्रकाशन में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों की साँस्कृतिक प्रथाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

एसबीएस ऑस्ट्रेलिया के समर्पित राष्ट्रीय स्वदेशी टेलीविज़न सेवा-कोष के रूप में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी साँस्कृतिक प्रोटोकॉलों को अत्यधिक महत्व देता है।

एसबीएस स्वदेशी साँस्कृतिक आस्थाओं, परंपराओं, प्रोटोकॉलों और प्रथाओं का सम्मान करता है और, जहाँ संभव हो, उपयुक्त अनुमति प्राप्त करेगा।

एसबीएस ऐसी सामग्री के प्रसारण या प्रकाशन का निर्णय लेते समय अपने संपादकीय विवेक के अनुसार कार्य करता है, जिसमें स्वदेशी लोगों को गंभीर रूप से अपमानित करने या अनावश्यक रूप से उनका नकारात्मक प्रतिबिंबन करने की प्रायिकता वाली शब्दावली शामिल है। एसबीएस सामग्री के प्रसारण या प्रकाशन के लिए आवश्यक प्रसंग और परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

उत्पादन नियमावलियाँ

एसबीएस सामग्री-निर्माताओं द्वारा सामग्री बनाते समय या सामग्री का उत्पादन करते समय उनके लिए इन संदर्भों का उल्लेख करने की अनिवार्यता निर्धारित करता है - वृहत्तर परिप्रेक्ष्यः आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी समुदायों से संबंधित फिल्मों और टेलीविज़न के उत्पादन में नियमावलियाँ और दिशा-निर्देश (The Greater Perspective: Protocol and Guidelines for the Production of Film and Television on Aboriginal and Torres Strait Islander Communities) और वृहतर परिप्रेक्ष्यः संपूरक दिशा-निर्देश (The Greater Perspective: Supplementary Guidelines), जिन्हें सामूहिक रूप से **वृहतर परिप्रेक्ष्य (The Greater Perspective)** कहा जाता है। वृहत्तर परिप्रेक्ष्य (The Greater Perspective) इन अनिवार्यताओं को संदर्भित करता है कि सामग्री-निर्माता:

- स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों के बारे में अपनी स्वयं की पूर्वमान्यताओं, रुढ़िवादी विश्वासों और धारणाओं से अवगत रहें और उन्हें चुनौती दें;
- ध्यान रखें कि स्वदेशी मुद्दों के बारे में स्वदेशी दृष्टिकोण और गैर-स्वदेशी दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकते हैं;
- स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों के बारे में सामग्री बनाते समय स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों के साथ संलग्न रहें, खासकर सामग्री के विषय-व्यक्तियों के साथ;
- स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों के साथ खुलेपन और ईमानदारी का व्यवहार करें, जिसमें संलग्न होने वाले स्वदेशी लोगों को किसी भी प्रस्तावित समझौते के परिणामों से अवगत कराना तथा स्वतंत्रतापूर्वक कानूनी सलाह प्राप्त करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करना शामिल है;
- स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों की भूमि और साँस्कृतिक संपत्ति, तथा साथ ही सामग्री के विषय-व्यक्तियों का सम्मान करें; और
- स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों की संस्कृतियों के प्रति संवेदनशील रहें और सामग्री का निर्माण करने से पहले व निर्माण के दौरान संबंधित लोगों के साथ संलग्न बने रहें और उनके साथ बातचीत करें।

दिवंगत स्वदेशी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

एसबीएस आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के संताप और शोक-प्रथाओं का सम्मान करता है तथा उन्हें अभिस्वीकृति देता है, जिसमें दिवंगत स्वदेशी व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में नियमावलियाँ भी शामिल हैं।

एसबीएस ऐसी परिस्थितियों में स्वदेशी दर्शकों और श्रोताओं को समुचित चेतावनी देगा, जहाँ इस संबंध में नियमावलियाँ लागू हैं। एसबीएस स्वीकार करता है कि स्वदेशी समुदायों की विविधता और जटिलता के परिणामस्वरूप प्रासंगिक नियमावलियों और कार्यप्रथाओं का हमेशा अनुपालन कर पाना संभव नहीं भी हो सकता है और दिवंगत व्यक्तियों के बारे में चेतावनी देना संभवतः हमेशा उपयुक्त नहीं हो सकता है।

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों की शोक-प्रथाएँ क्षेत्र-विशिष्ट होती हैं। एसबीएस सामग्री-निर्माताओं के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वे हाल ही में दिवंगत हुए आदिवासी या टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी व्यक्तियों के बारे में रिपोर्टिंग करते समय, अथवा उन्हें दिखाने वाली या उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सामग्री का निर्माण करते समय स्थानीय प्रथाओं का सत्यापन और सम्मान करें। जहाँ उपयुक्त होगा, दिवंगत स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासियों की तस्वीरें, फुटेज या आवाजों की रिकॉर्डिंग दिखाने से पहले चेतावनी दी जाएगी।

5.5 निजता

एसबीएस व्यक्ति-विशेष की निजता अधिकारों का सम्मान करता है।

इन अधिकारों को जनहित-संबंधी मुद्दों पर रिपोर्ट करने तथा विविध अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के एसबीएस के दायित्वों के समकक्ष संतुलित किया जाता है।

जनहित-संबंधी मुद्दों पर रिपोर्ट करते समय किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजता में हस्तक्षेप करना कुछ परिस्थितियों में उचित हो सकता है।

एसबीएस इस पूर्वधारणा के तहत कार्य करता है कि यदि सामग्री को सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस सामग्री के संचरण से सामान्यतः किसी व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप नहीं होगा।

नोट: एसबीएस परिचालन के उद्देश्यों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, जो एसबीएस निजता नीति के अधीन आती है।

6. प्रतिक्रियाएँ, टिप्पणियाँ और शिकायतें

एसबीएस अपनी सामग्री और प्लेटफॉर्मों के बारे में सभी दर्शकों और श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को महत्व देता है, चाहे वे मानार्थ हों या आलोचनात्मक हों। एसबीएस के लिए दर्शकों और श्रोताओं की प्रतिक्रियाएँ, टिप्पणियाँ और शिकायतें दर्शकों और श्रोताओं के साथ संलग्न होने तथा समुदाय की आवश्यकताओं एवं एसबीएस की संपादकीय प्रक्रियाओं व सेवाओं के बारे में समुदाय की धारणाओं से अवगत होने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।

एसबीएस अपनी सामग्री और प्लेटफॉर्मों के बारे में शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेता है।

- एसबीएस पर अनुभाग 6.2 के तहत एसबीएस कार्यप्रथा संहिता के किसी प्रावधान के उल्लंघन का आरोपण करने वाली शिकायत का अन्वेषण और प्रबंधन स्वतंत्रतापूर्वक एसबीएस लोकपाल द्वारा किया जाएगा।
- अन्य मामलों के बारे में प्रतिक्रियाओं, टिप्पणियों और सामान्य शिकायतों का प्रबंधन एसबीएस दर्शक और श्रोता संबंध (SBS Audience Relations) द्वारा किया जाता है।

एसबीएस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर की गई टिप्पणियों और शिकायतों का औपचारिक प्रत्युत्तर नहीं देगा।

एसबीएस ऐसी टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं या शिकायतों का प्रत्युत्तर नहीं देगा, जो:

- तुच्छ या अप्रिय हैं अथवा सद्भावना में नहीं की गई हैं; या
- आपत्तिजनक या अपमानजनक हैं।

6.1 प्रतिक्रियाएँ, टिप्पणियाँ और सामान्य शिकायतें

एसबीएस की सामग्री और प्लेटफॉर्मों के बारे में टिप्पणियाँ, प्रतिक्रिया और सामान्य शिकायतें एसबीएस से यहाँ संपर्क करके जमा की जा सकती हैं।

जिन टिप्पणियों या प्रतिक्रियाओं के लिए विस्तारित प्रत्युत्तर या विशिष्ट सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें एसबीएस में संबंधित टीम या कर्मचारी के प्रति निर्दिष्ट किया जा सकता है।

समुचित कार्यवाही का निर्धारण करने के लिए सामान्य शिकायतों को प्रासंगिक टीम के पास निर्दिष्ट किया जाएगा। एसबीएस के लिए इन शिकायतों की जाँच करना और इनका प्रत्युर देना अनिवार्य नहीं है। लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर एसबीएस प्रकट की गई चिंताओं को दूर करने का समुचित प्रयास करेगा।

एसबीएस सामान्य रूप से टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं या टेलीफोन के माध्यम से की गई शिकायतों के लिए लिखित प्रत्युत्तर नहीं देता है और एसबीएस अपने विवेकानुसार उपयुक्त रूप से मामले के साथ व्यवहार करेगा।

6.2 सामग्री के प्रसारण या प्रकाशन के स्वरूप के बारे में संहिता के अंतर्गत शिकायतें

संहिता में दिए गए किसी प्रावधान के उल्लंघन का आरोपण करने वाली शिकायत का प्रबंधन एसबीएस लोकपाल द्वारा किया जाएगा और उसकी स्वतंत्रत जाँच की जाएगी। प्रतिक्रिया को संहिता के अंतर्गत शिकायत नहीं माना जाएगा।

एसबीएस लोकपाल सीधे प्रबंध निदेशक के समक्ष रिपोर्ट करते हैं और एसबीएस के सभी प्रभागों से विमुक्त होते हैं।

सामग्री के प्रसारण या प्रकाशन से पहले प्राप्त हुई शिकायतें संहिता के अंतर्गत शिकायतों के रूप में मान्य नहीं होती हैं।

एसबीएस ऑस्ट्रेलिया में निवास नहीं करने वाले लोगों, या गैर–ऑस्ट्रेलियाई निकायों से प्राप्त शिकायतों की जाँच करने के लिए बाध्य नहीं है। एसबीएस गुमनाम शिकायतों की जाँच नहीं करेगा।

एसबीएस ऐसी किसी भी शिकायत की जाँच को निलंबित कर देगा, जो कानूनी कार्यवाही का विषय है या बन जाती है। किसी भी जाँच का पुनःआरंभ कानूनी कार्यवाही की प्रकृति और परिणाम पर निर्भर करता है।

6.2.1 संहिता के अंतर्गत शिकायत कैसे करें

एसबीएस से यहाँ संपर्क करके एसबीएस की सामग्री के बारे में संहिता के अंतर्गत शिकायत जमा की जा सकती है।

आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप:

- अपना नाम बताकर अपनी पहचान प्रकट करें और अपना ईमेल पता व डाक पता, दोनों उपलब्ध कराएँ;
- चिंताजनक सामग्री की पहचान करें और बताएँ कि आपने इसे किस तिथि को देखा, सुना या पढ़ा था;
- जिस प्लेटफॉर्म पर आपने इस सामग्री को सुना, पढ़ा या देखा था, उसके बारे में बताएँ, उदाहरण के लिए एसबीएस टेलीविज़न या रेडियो चैनल, डिजिटल सेवा, पॉडकास्ट या वेबसाइट का नाम;
- आप सामग्री के जिस पहलू के बारे में शिकायत कर रहे/रही हैं, उसके बारे में समझाएँ; और
- यदि संभव हो, तो सामग्री के संदर्भ में इस संहिता के लागू होने वाले अनुभाग या अनुभागों की पहचान करें।

निजता से संबंधित शिकायतें केवल उसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से की जा सकती हैं, जो यह मानता है कि उसकी निजता में हस्तक्षेप हुआ है।

अंग्रेज़ी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में संहिता के अंतर्गत शिकायतें

यदि एसबीएस को अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में शिकायत प्राप्त होती है, तो एसबीएस उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कराएगा और उस अनुवाद को आधार बनाएगा।

संहिता के अंतर्गत शिकायत करने की समयावधियाँ

एसबीएस को संहिता के अंतर्गत शिकायतें उस सामग्री के टेलीविज़न या रेडियो प्रसारण की तिथि अथवा किसी एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवा पर सर्वप्रथम उपलब्ध होने की तिथि के चार (4) सप्ताहों के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए।

6.2.2 गोपनीयता

सामान्य रूप से शिकायतकर्ता की पहचान को एसबीएस द्वारा गोपनीय रखा जाएगा और इसे केवल आवश्यकतानुसार एसबीएस लोकपाल द्वारा जाँच के उद्देश्य से प्रासंगिक एसबीएस कर्मचारियों के समक्ष ही प्रकट किया जाएगा।

एसबीएस संहिता के अंतर्गत शिकायत करने वाले व्यक्तियों की निजता का सम्मान करता है और शिकायत करने वाले व्यक्ति–विशेषों की पहचान को सार्वजनिक रूप से तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक:

- एसबीएस के लिए कानून के अंतर्गत ऐसा करना आवश्यक न हो;
- शिकायतकर्ता स्वयं ही शिकायत को सार्वजनिक न बनाए; या
- शिकायत सार्वजनिक रिकॉर्ड के मामले पर न हो।

6.2.3 संहिता के अंतर्गत शिकायतों के साथ एसबीएस कैसे व्यवहार करता है

एसबीएस लोकपाल को मिली शिकायतों का आकलन करके यह निर्धारित किया जाएगा कि वे संहिता के अंतर्गत शिकायतों के मानकों को पूरा करती हैं या नहीं।

एक बार जब किसी शिकायत का आकलन संहिता के अंतर्गत शिकायत के रूप में कर दिया जाता है, तब एसबीएस लोकपाल शिकायतकर्ता को ईमेल से एक लिखित उत्तर भेजेंगे जिसमें:

- शिकायत प्राप्त होने की अभिस्वीकृति दी जाएगी;
- शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा कि एसबीएस लोकपाल मामले की जाँच करेंगे;
- शिकायत का प्रत्युत्तर देने के लिए अनुमानित समय-सीमा दी जाएगी; और
- जहाँ लागू हो, शिकायतकर्ता को यह सलाह दी जाएगी कि वे ऑस्ट्रेलियाई संचार और मीडिया प्राधिकरण (एसीएमए) [Australian Communications and Media Authority (ACMA)] के माध्यम से वाह्य समीक्षा करा सकते हैं।

कुछ मामलों में, अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में प्रसारित या प्रकाशित किए गए कार्यक्रम का संपूर्ण अनुवाद या इसके किसी अंश का अनुवाद कराना आवश्यक हो सकता है। इस प्रक्रिया में कुछ देरी शामिल हो सकती है।

शिकायत समिति

एसबीएस लोकपाल या संबंधित एसबीएस प्रभाग का निदेशक संहिता के अंतर्गत शिकायत पर आगे विचार किए जाने के लिए इसे एसबीएस शिकायत समिति के पास भेज सकते हैं। शिकायत समिति संहिता के अंतर्गत शिकायत और एसबीएस लोकपाल द्वारा दी गई किसी भी संस्तुति की समीक्षा करेगी और शिकायत को मान्य रखने या खारिज करने के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक दृढ़ निर्णय लेगी।

शिकायत समिति अपने विवेकानुसार तय करेगी कि वे स्वयं को कैसे सूचित करेंगे।

शिकायत समिति में प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष), एसबीएस लोकपाल, एसबीएस सामग्री निदेशक और कॉर्पोरेट मामले प्रभाग के निदेशकों (या समय-समय पर ऐसे समकक्ष पदधारकों) से निर्मित की जाती है।

संहिता के अंतर्गत शिकायतों के उत्तर

एसबीएस लोकपाल शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को ईमेल के माध्यम से लिखित प्रतिक्रिया प्रदान करने का प्रयास करेंगे, और उन्हें किसी भी परिस्थिति में 60 दिनों के अंदर ऐसा करना अनिवार्य होगा (अनुवाद की आवश्यकता के परिणामस्वरूप देरी के अधीन)।

असाधारण परिस्थितियों में 60 दिनों की समय-सीमा में विस्तार को न्यायोचित माना जा सकता है।

शिकायतकर्ता को संशोधित समयरेखा और देरी के कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा।

शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा कि:

- क्या संहिता के अंतर्गत शिकायत को मान्य रखा गया है;
- एसबीएस के निर्णय के क्या कारण हैं; और
- जहाँ लागू हो, एसबीएस की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं होने पर उनके पास मामले को एसीएमए (ACMA) के पास भेजने का अधिकार है।

संहिता के अंतर्गत शिकायतों को मान्य रखे जाने पर एसबीएस की प्रतिक्रिया

यदि संहिता के अंतर्गत किसी शिकायत को मान्य रखा जाता है, तो एसबीएस अपने विवेकानुसार कार्यवाही कर सकता हैं जिसमें शामिल है:

- उल्लंघन होने की घटना को अभिस्वीकृति देना;
- क्षमायाचना करना;
- सही की गई जानकारी का प्रसारण या प्रकाशन करना; या
- सुधार, वापिस लेना या क्षमायाचना का प्रसारण या प्रकाशन करना।

6.2.4 एसीएमए (ACMA) के प्रति निर्दिष्टीकरण

जिन शिकायतकर्ताओं को:

- शिकायत जमा करने के बाद 60 दिनों के अंदर, या असाधारण परिस्थितियों में बताई गई समयावधि के अंदर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है; या
- समयावधि के अंदर ऐसी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिसे वे अपर्याप्त मानते हैं;

वे *प्रसारण सेवा अधिनियम 1992* (राष्ट्रमंडल) के अनुभाग 150 के तहत **एसीएमए (ACMA)** के पास शिकायत कर सकते हैं।

एसीएमए (ACMA) एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाओं पर सामग्री के बारे में शिकायतों के साथ व्यवहार नहीं करता है, जब तक ये पुनःसंचरित टेलीविज़न या रेडियो प्रसारण सेवा से संबंधित न हों।

6.2.5 एसबीएस की डिजिटल मीडिया सेवाओं पर अवैध और आपत्तिजनक सामग्री के बारे में शिकायत

ईसेफ्टी आयुक्त (eSafety Commissioner) एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाओं पर अवैध और आक्रामक सामग्री के बारे में शिकायतों की जाँच कर सकते हैं (पुनःसंचरित रेडियो या टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं के अतिरिक्त)।

7. शब्दावली

एसीएमए (ACMA) का तात्पर्य ऑस्ट्रेलियाई संचार और मीडिया प्राधिकरण (Australian Communications and Media Authority) से है।

विज्ञापन का तात्पर्य ऐसी सामग्री से है, जिसके लिए एसबीएस को नकदी या गैर-नकदी रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जो स्वयं अथवा जिसका कोई अंश जनता का ध्यान किसी उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की दिशा की ओर आकर्षित करती है, अथवा जिसकी गणना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की दिशा का प्रचार अथवा संस्तुति करने के लिए की जाती है।

विज्ञापन मानकों का तात्पर्य ऐसे उद्योग निकाय से है, जो ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापनो की स्व-विनियमन प्रणाली की शिकायत समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करता है।

प्रसारण सेवा का तात्पर्य वही है जो **एसबीएस अधिनियम** के अनुभाग 3 में दिया गया है।

संहिता का तात्पर्य एसबीएस कार्यप्रथा संहिता से है।

संहिता के अंतर्गत शिकायत का तात्पर्य ऐसी शिकायत से है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि एसबीएस ने प्रसारित या प्रकाशित सामग्री के माध्यम से एसबीएस कार्यप्रथा संहिता का उल्लंघन किया है (**अनुभाग 6.2**)।

सामग्री का तात्पर्य ऑडियो, वीडियो, दृश्य और पाठ्य सामग्री से है।

सीएसए का तात्पर्य सामुदायिक सूचना घोषणाओं और सामुदायिक प्रचार सामग्री से है (**अनुभाग 4.3**)।

डिजिटल मीडिया सेवा का तात्पर्य वही है जो **एसबीएस अधिनियम** के अनुभाग 3A में दिया गया है।

स्वदेशी ऑस्ट्रेलियावासी से तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों से है।

प्रबंध निदेशक का तात्पर्य वही है जो **एसबीएस अधिनियम** के अनुभाग 3 में दिया गया है।

एनआईटीवी का तात्पर्य राष्ट्रीय स्वदेशी टेलीविज़न से है।

ऑनलाइन सामग्री का तात्पर्य ऐसी सामग्री से है, जो एसबीएस की डिजिटल मीडिया सेवाओं और तृतीय पक्ष की डिजिटल मीडिया सेवाओं पर प्रकाशित की जाती है, जिसमें एसबीएस ऑन डिमांड, एसबीएस वेबसाइट, एसबीएस एप्स, एसबीएस पॉडकास्ट और एसबीएस सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल हैं।

एसबीएस का तात्पर्य **एसबीएस अधिनियम** के तहत काम करने वाले विशेष प्रसारण सेवा निगम से है, और इसमें एनआईटीवी भी शामिल है।

एसबीएस अधिनियम का तात्पर्य ***विशेष प्रसारण सेवा अधिनियम 1991*** (राष्ट्रमंडल) से है।

एसबीएस शिकायतें समिति का तात्पर्य ऐसी समिति से है जिसे प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष), एसबीएस लोकपाल, एसबीएस सामग्री निदेशकों और कॉर्पोरेट मामले प्रभाग के निदेशक (या समय-समय पर ऐसे समकक्ष पदधारकों) से निर्मित किया जाता है (**अनुभाग 6.2.3**)।

एसबीएस सामग्री का तात्पर्य एसबीएस द्वारा अपने प्लेटफॉर्मों पर प्रसारण या प्रकाशन के लिए उत्पादित, साधिकार आदेशित, अधिग्रहीत या अन्यथा प्राप्त की गई सामग्री से है, जिसपर एसबीएस का संपादकीय नियंत्रण है (**अनुभाग 2.1**)।

एसबीएस सामग्री निदेशकों का तात्पर्य ऑडियो और भाषा सामग्री निदेशक, समाचार और सामयिक मामले निदेशक, विपणन निदेशक तथा टेलीविज़न और ऑनलाइन सामग्री निदेशक या समय-समय पर ऐसे समकक्ष पदधारकों से है (**अनुभाग 6.2.3**)।

एसबीएस प्लेटफॉर्मों में एसबीएस टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण सेवाएँ, एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाएँ और तृतीय पक्ष के प्लेटफॉर्मों पर एसबीएस खाते व सेवाएँ शामिल हैं (**अनुभाग 2.1**)।

प्रायोजन घोषणा का तात्पर्य ऐसी समग्री से है, जिसके लिए एसबीएस को नकदी या गैर-नकदी रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जो दर्शकों और श्रोताओं को एसबीएस के साथ प्रायोजन संबंध के बारे में जानकारी देती है और सक्रियात्मक रूप से प्रायोजक के उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की दिशा को अनुकूल तरीके से संवृद्ध करती है। (**अनुभाग 4.2**)।

वर्ल्डवॉच का तात्पर्य **अनुभाग 3.3.2** के तहत एसबीएस द्वारा प्रसारित या प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय समाचार और सामयिक मामलों पर अनेकानेक बुलेटिनों से है।

परिशिष्ट 1

टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं के लिए एसबीएस की वर्गीकरण प्रणाली

टेलीविज़न कार्यक्रम वर्गीकरण की एसबीएस प्रणाली वर्गीकरण *(प्रकाशन, फिल्में और कंप्यूटर गेम्स)* अधिनियम 1995 (राष्ट्रमंडल) के तहत दिए गए फिल्मों और कंप्यूटर गेम्स (2005) के वर्गीकरण दिशानिर्देशों से अनुकूलित है।

निम्नलिखित वर्गीकरण के प्रवर्तन के लिए मार्गदर्शन करने वाला सिद्धाँत प्रसंग है। किसी एक प्रसंग में जो अनुचित और अस्वीकार्य होता है, वही किसी दूसरे प्रसंग में समुचित और स्वीकार्य हो सकता है। विचारणीय कारकों में शामिल हैं: उत्पादन की कलात्मक या शैक्षिक योग्यता, किसी अनुक्रम का उद्देश्य, बोलने का लहजा, कैमरे से खींचने का तरीका, सामग्री की तीव्रता और प्रासंगिकता, व्यवहार तथा लक्षित दर्शक और श्रोता।

एसबीएस ऐसा मानता है कि जब कार्यक्रमों को अनछुआ प्रसारित किया जाता है, तो उनकी अखंडता सबसे अच्छी तरह से बनाई रखी जा सकती है। एसबीएस कार्यक्रमों को समयबद्ध करेगा, अथवा यदि आवश्यक हो तो उन्हें एसबीएस वर्गीकरण श्रेणियों के अनुसार संशोधित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रसारण के लिए उपयुक्त हैं, या विशेष समय पर प्रसारित किए जा सकते हैं।

एसबीएस की वर्गीकरण प्रणाली संस्कृति, हिंसा, सेक्स और नग्नता, और भाषा के उपयोग पर विशेष ध्यान देती है।

संस्कृति

एक बहुभाषी और बहुसाँस्कृतिक मीडिया सेवा के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में एसबीएस संस्कृतियों की विविधता प्रतिबिंबित करती है, जिसमें आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट द्वीपवासी समुदायों की संस्कृतियाँ भी शामिल हैं।

एसबीएस प्रत्येक कार्यक्रम को उसके साँस्कृतिक प्रसंग के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर वर्गीकृत करता है। एसबीएस प्रासंगिक वर्गीकरण तत्वों की व्याख्या करेगा ताकि दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रासंगिक साँस्कृतिक जानकारी की प्रस्तुति में बाधा न पैदा हो या विविध साँस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने की उसकी क्षमता सीमित न हो जाए।

हिंसा

एसबीएस यह स्वीकार करता है कि हिंसा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जिसके साथ जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। एसबीएस यह मानता है कि कुछ लोगों, विशेष रूप से बच्चों के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा के चित्रण में व्यथा और संताप पैदा करने की अनन्य क्षमता होती है। एसबीएस हिंसा को अकारण प्रस्तुत नहीं करता है।

हिंसा से जुड़ी कार्यक्रम सामग्री का आकलन करने में कई कारकों पर विचार किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- स्पष्टता का स्तर;
- चौंकाने, व्यथित करने या सदमा पैदा करने की प्रवृत्ति;
- संदेश के संबंध में महत्व; और
- सामाजिक महत्व।

नाटक में हिंसा की प्रस्तुति पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। नाटकीय परंपरा में हिंसा हमेशा एक शक्तिशाली घटक रही है और एसबीएस इस बात को स्वीकार करता है कि कभी-कभी लेखक और निर्देशक समाज के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु उजागर करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं।

सेक्स और नग्नता

सेक्स और नग्नता से जुड़ी कार्यक्रम सामग्री का आकलन करने में कई कारकों पर विचार किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- किस जिम्मेदारी से दृश्यों और विषयवस्तु के साथ व्यवहार किया जाता है, विशेष रूप से बिना सहमति के यौन–कृत्यों और अवयस्कों से जुड़े किसी भी यौन–कृत्य के साथ व्यवहार;
- स्पष्टता का स्तर; और
- कार्यक्रम के संपूर्ण प्रसंग में दृश्यों का प्रभाव।

भाषा

कार्यक्रमों को वर्गीकृत करते समय एसबीएस असभ्य भाषा के उपयोग और प्रचलित सामुदायिक मानदंडों को ध्यान में रखेगा।

वर्गीकरण श्रेणियाँ

G – सामान्य

G कार्यक्रम किसी भी समय दिखाए जा सकते हैं।

G कार्यक्रम, जिनमें स्कूल–पूर्व और स्कूली आयु के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम भी शामिल हैं, बच्चों द्वारा अकेले देखे जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। कुछ G कार्यक्रम बड़ी आयु के बच्चों के लिए और अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

G वर्गीकरण का अनिवार्यतः तात्पर्य यह नहीं है कि कार्यक्रम देखने से बच्चों को आनंद मिलेगा। कुछ G कार्यक्रमों में ऐसे विषय या कहानियाँ होती हैं जो बच्चों के लिए रुचिकर नहीं होती हैं।

चाहे कार्यक्रम बच्चों के लिए हो या न हो, विषयों और अन्य वर्गीकृत तत्वों के साथ सावधानीपूर्वक और विचारशील तरीके से व्यवहार किया जाता है।

यदि व्यवहार विचारशील और प्रसंगोचित हो तथा इसका प्रभाव बहुत हल्का हो, तो कलात्मक या साँस्कृतिक प्रसंगों में वर्गीकृत तत्वों के साथ ऐसे व्यवहार की अनुमति दी जा सकती है, जैसे यौन संदर्भ में नग्नता के चित्रण।

विषय: विषयवस्तुओं के साथ विचारशील और प्रसंगोचित व्यवहार किया जाना चाहिए, तथा इनका प्रभाव बहुत हल्का होना चाहिए। खतरनाक, नकल करने योग्य व्यवहार प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है, सिवाय ऐसी परिस्थितियों में जहाँ यह प्रसंगोचित हो। इस तरह के व्यवहार के किसी भी चित्रण से खतरनाक नकल को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। अमानुषी या बहुत हल्की प्रकृति की डरावनी विषयवस्तुएँ शामिल की जा सकती हैं।

हिंसा: अत्यधिक विचारशील तरीके से हिंसा को निहित किया जा सकता है, जिसमें यौन हिंसा भी शामिल हैं, किंतु:

- यह हल्के स्वर की होनी चाहिए;
- इससे अत्यधिक निम्न स्तर के खतरे या संकट की भावना पैदा होनी चाहिए; और
- यह अकारण नहीं होनी चाहिए।

सेक्स: यौन गतिविधि:

- अत्यधिक विचारशील दृश्य या मौखिक संदर्भों में सुझावित की जानी चाहिए; और
- अकारण नहीं होनी चाहिए।

भाषा: असभ्य भाषा:

- बहुत हल्की होनी चाहिए; और
- अकारण नहीं होनी चाहिए।

मादक–पदार्थों का उपयोग: मादक–पदार्थों के उपयोग का चित्रण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। मादक–पदार्थों का उपयोग केवल अत्यधिक सावधानी से निहित होना चाहिए, और प्रसंगोचित होना चाहिए।

नग्नता: यौन संदर्भ के बाहर नग्नता विस्तृत या अकारण नहीं होनी चाहिए।

PG – माता–पिता द्वारा मार्गदर्शन

15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए माता–पिता/अभिभावक मार्गदर्शन अनुशंसित।

PG कार्यक्रम किसी भी समय दिखाए जा सकते हैं।

PG कार्यक्रमों में वयस्क विषयवस्तुएँ और अवधारणाएँ हो सकती हैं, और जब ये 15 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा देखे जाते हैं, तो किसी वयस्क व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है।

PG वर्गीकरण माता–पिता या अभिभावकों को संकेत देता है कि वयस्क मार्गदर्शन के बिना इस श्रेणी की सामग्री में किए गए चित्रण या संदर्भ बच्चों को भ्रमित या परेशान कर सकते हैं।

माता–पिता या अभिभावक अपनी देखभाल के तहत बच्चों की सामग्री की निगरानी करने का चयन कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी देखभाल के अंतर्गत आने वाले बच्चों के साथ में यह सामग्री देखने का चयन कर सकते हैं। अन्य लोग सामग्री देखने के दौरान या उसके बाद चर्चा करने के लिए सुलभ होने को पर्याप्त मान सकते हैं।

PG वर्गीकरण का अनिवार्यतः तात्पर्य यह नहीं है कि कार्यक्रम देखने से बच्चों को आनंद मिलेगा। कुछ PG कार्यक्रमों में ऐसे विषय या कहानियाँ होती हैं जो बच्चों के लिए रुचिकर नहीं होती हैं।

विषय: विषयवस्तुओं के साथ विचारशील तरीके व्यवहार किया जाना चाहिए, तथा इनका प्रभाव बहुत हल्का होना चाहिए। अमानुषी या बहुत हल्की प्रकृति की डरावनी विषयवस्तुएँ शामिल हो सकती हैं।

हिंसा: हिंसा को विचारशील या शैलीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है तथा:

- इसका प्रभाव हल्का होना चाहिए; और
- इसे विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए।

सेक्स: यौन संदर्भ में यौन गतिविधि और नग्नता सुझावित की जा सकती है, लेकिन यह:

- विचारशील होनी चाहिए; और
- अकारण नहीं होनी चाहिए।

यौन गतिविधि के मौखिक संदर्भ विचारशील होने चाहिए।

भाषा: असभ्य भाषा हल्की प्रकृति की होनी चाहिए।

मादक–पदार्थों का उपयोग: मादक–पदार्थों के विचारशील मौखिक संदर्भों और इनके उपयोग के हल्के दृश्यों को शामिल किया जा सकता है।

नग्नता: यौन संदर्भ के बाहर नग्नता विस्तृत या अकारण नहीं होनी चाहिए।

M – परिपक्व

15 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए अनुशंसित नहीं।

एसबीएस, एसबीएस वाइसलैंड और एसबीएस वर्ल्ड मूवीज़

M कार्यक्रमों को इन समयावधियों में दिखाया जा सकता है:

- सुबह 10बजे से दोपहर 3:00बजे तक; तथा
- शाम 7.30बजे से सुबह 6.00बजे तक।

एनआईटीवी और एसबीएस फूड

M कार्यक्रमों को इन समयावधियों में दिखाया जा सकता है:

- सप्ताह के उन दिनों में सुबह 10बजे से दोपहर 3:00बजे तक, जब बच्चों के स्कूल हों; तथा
- सप्ताह के किसी भी दिन शाम 7.30बजे से सुबह 6.00बजे तक।

M श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने वाले कार्यक्रमों में ऐसी सामग्री होती है, जिसे 15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए संभावित रूप से हानिकारक या व्यथित करने वाला माना जाता है। वर्गीकरण करने योग्य सामग्री में विस्तारपूर्ण चित्रण और संदर्भ हो सकते हैं।

अधिकांश विषयवस्तुओं का सामना किया जा सकता है, किंतु व्यवहार की स्पष्टता और तीव्रता का स्तर यह निर्धारित करेगा कि M श्रेणी में क्या समायोजित किया जा सकता है – M वर्गीकरण में कम स्पष्टता या कम तीव्रता की सामग्री को शामिल किया जाएगा, और अधिक स्पष्टता या अधिक तीव्रता की सामग्री, विशेषकर हिंसायुक्त सामग्री को MA15+ वर्गीकरण में शामिल किया जाएगा।

विषयवस्तु: अधिकांश विषयवस्तुओं का सामना किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार विचारशील होना चाहिए, और प्रभाव सशक्त नहीं होना चाहिए।

हिंसा: सामान्य रूप से हिंसा के चित्रण:

- बहुत अधिक विस्तारपूर्ण नहीं होने चाहिए; और
- लंबे समय तक नहीं होने चाहिए।

वास्तविक रूप से व्यवहारों में विस्तारपूर्ण हिंसा के चित्रण:

- लंबे समय तक नहीं होने चाहिए; और
- अकारण नहीं होने चाहिए।

शैलीबद्ध व्यवहारों में यदि हिंसा के चित्रणों से प्रभाव नहीं बढ़ता है, तो ये अधिक विस्तारपूर्ण हो सकते हैं।

यौन हिंसा के मौखिक और दृश्य संदर्भ केवल तभी शामिल किए जा सकते हैं, जब वे:

- विचारशील हों, और
- कथानक या वृत्तचित्र के प्रसंगानुसार दृढ़ता से न्यायोचित हों।

सेक्स: यौन गतिविधि निहित हो सकती है।

यौन संदर्भ में नग्नता बहुत विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए, या लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए।

यौन गतिविधि के मौखिक और पाठ्य संदर्भ दृश्य चित्रण से अधिक विस्तारपूर्ण हो सकते हैं, यदि ये प्रभाव नहीं बढ़ाते हैं।

भाषा: असभ्य भाषा का उपयोग किया जा सकता है।

सामान्य रूप से अभद्र, विस्तारपूर्ण या अत्यधिक आक्रामक भाषा का प्रयोग अकारण नहीं होना चाहिए।

मादक–पदार्थों का उपयोग: मादक–पदार्थों के उपयोग को विचारशील तरीके से दिखाया जा सकता है।

नग्नता: यौन संदर्भ से परे नग्नता दिखाई जा सकती है, लेकिन विस्तारयुक्त चित्रण अकारण नहीं होने चाहिए।

MA15+ – परिपक्व दर्शक और श्रोता

15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए अनुपयुक्त।

MA15+ कार्यक्रम सप्ताह के किसी भी दिन रात 8.30बजे से सुबह 5.00बजे के बीच दिखाए जा सकते हैं।

MA15+ कार्यक्रमों में निहित सामग्री या वर्गीकृत तत्वों के साथ व्यवहार किए जाने के तरीके के कारण ये कार्यक्रम 15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं।

MA15+ श्रेणी में वर्गीकृत सामग्री ऐसे मुद्दों से संबंधित होती है या इसमें ऐसे चित्रण शामिल होते हैं, जिनके लिए और अधिक परिपक्व परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत तत्वों के प्रभाव या तत्वों के संयोजन को 15 वर्ष से कम आयु के दर्शकों और श्रोताओं के लिए संभावित रूप से हानिकारक या व्यथित करने वाला माना जाता है।

अधिकांश विषयवस्तुओं का सामना किया जा सकता है और उन्हें MA15+ श्रेणी में समायोजित किया जा सकता है – किंतु अधिक स्पष्टता या अधिक तीव्रता की सामग्री, विशेषकर हिंसायुक्त सामग्री को MA15+ वर्गीकरण में शामिल किया जाएगा और कम स्पष्टता या कम तीव्रता की सामग्री को M वर्गीकरण में शामिल किया जाएगा।

विषय: ऊँचे स्तर की तीव्रता वाले विषयों के साथ व्यवहार अकारण नहीं होना चाहिए।

हिंसा: सामान्य रूप से हिंसा के चित्रणों से अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

वास्तविक रूप से सशक्त प्रभाव वाले विस्तारपूर्ण हिंसा के चित्रण के व्यवहार:

- लंबे समय तक नहीं होने चाहिए; और
- अकारण नहीं होने चाहिए।

शैलीबद्ध व्यवहारों में यदि हिंसा के चित्रणों से प्रभाव नहीं बढ़ता है, तो ये अधिक विस्तारपूर्ण हो सकते हैं।

यौन हिंसा के चित्रणों की अनुमति केवल तभी होती है, जब ये लंबे समय तक चलने वाले, अकारण या शोषक प्रकृति के न हों।

सेक्स: यौन गतिविधि निहित हो सकती है।

यौन संदर्भ में विस्तारपूर्ण नग्नता के चित्रण शोषक प्रकृति के नहीं होने चाहिए। यौन गतिविधि के मौखिक, पाठ्य और ऑडियो संदर्भ दृश्य चित्रण से अधिक विस्तारपूर्ण हो सकते हैं, यदि ये प्रभाव नहीं बढ़ाते हैं।

भाषा: असभ्य भाषा का उपयोग किया जा सकता है।

मादक–पदार्थों का उपयोग: मादक–पदार्थों का उपयोग दिखाया जा सकता है। अधिक विस्तारपूर्ण चित्रणों से ऊँचे स्तर का प्रभाव नहीं होना चाहिए।

नग्नता: नग्नता प्रसंगानुसार न्यायोचित होनी चाहिए।

SBS Sydney

Postal Address

Locked Bag 028
Crows Nest NSW 1585

Street Address

14 Herbert Street
Artarmon NSW 2064

SBS Melbourne

Postal Address

PO Box 294
South Melbourne VIC 3205

Street Address

Alfred Deakin Building, Federation Square
Cnr Flinders and Swanson Streets
Melbourne VIC 3000

Telephone 1800 500 727

sbs.com.au

SBS
a world of difference